

कार्यालय
पत्रांक 361

तहसीलदार
/र0का0

डिबाई
दिनांक - 16 अगस्त, 2019

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील डिबाई के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा आवंटन शिविर का आयोजन शासनादेश संख्या 3756-1-2/95 रा0-0 दिनांक -17-10-1995 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पंजीकरण मछुआ समितियों /समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर तहसील डिबाई के समागार में दिनांक 27.08.2019 को प्रातः 10.00 बजे किया जायेगा। मत्स्य पालन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र इच्छुक व्यक्तियों से प्रातः 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक लिए जाएंगे। अपराहन 2 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा अपराहन 2 बजे के बाद सामान्य वरीयता समूह में नीलामी के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। नीलामी की धनराशि उ0प्र0 राजस्व सहिता नियमावली 2006 में निहित प्रावधान के अनुसार होगी। उपस्थित व्यक्तियों में से समान वरीयता समूह में सर्वाधिक बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन कार्यवाही की जाएगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की तिथि से 6 माह पुराना न हो) प्रार्थना पत्र के साथ नियत तिथि समय स्थान पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सर्वाधिक बोली दाता को नीलामी के तत्काल उपरान्त 10 वर्षीय लगान का 1/4 भाग जमा करना होगा। पट्टा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई को होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(हे0में)	क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(हे0में)
1	गंगागढ	101मि	1.119	11	सतोहा	703म	0.885
2	रामबिलौनी	147	1.201	12	दोगवा	281	4.249
3	गौसमी	63	1.088	13	जलालपुर जटट	242	0.443
4	वीरपुर	14	0.341	14	वाजिदपुर	139	0.240
5	बेलौन	452/4	3.414	15	उमरारा	401	0.443
6	त्रिलोकपुर	69	0.291	16	नवीपुर खेडिया	68	0.304
		88	0.304			281	0.240
7	उमरारी	203स	0.519	17	जरगवा	1701	0.594
		191	0.240			906	0.430
8	भोपतपुर	100	0.607	18	नित्यानन्दपुर	152	0.885
9	परिहावली	251स	0.620	19	तलवार	71	2.225
						212	0.126
10	पिलखना	728	0.291	20	गोककुलपुर खादर	82	0.253
						83	0.921

तहसीलदार
डिबाई।

पत्रांक /र0का0 /मत्स्य पट्टा/2019-020

दिनांक -

प्रतिलिपि:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
- 2- तहसीलदार डिबाई/ सिकन्द्राबाद/खुर्जा/स्याना/अनूपशहर/शिकारपुर/बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 3- सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं मछुआ समुदाय को अवगत कराने हेतु।
- 4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
- 5- अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थनीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
- 6- सम्पादक महोदय, हिन्दुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक जागरण को उक्त विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
- 7- खण्ड विकास अधिकारी डिबाई /दानपुर को इस आशय से कि विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार कराये।
- 8- राजस्व निरीक्षक डिबाई/दानपुर को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पट्टा शिविर की तिथि को कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु।
- 9- सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान /अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को सूचनार्थ।

तहसीलदार
डिबाई।